राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

संजय कुमार सिंह, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

पत्रांक: SHSB/PM/361/2007/6502

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार
सभी सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति।

पटना, दिनांक 02/02/23

विषय: राज्य के सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजो को सभी प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाये/स्वास्थ्य सेवाये उपलब्ध कराते हुए उनका बेहतर उपचार करने एवं आवश्यक औषधियाँ निःशुल्क उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग: संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का D.O.NO 7(43)/2020-NHM-1 दिनांक 18.07.2022

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि मामून रशीद, सामाजिक कार्यकर्ता भागलपुर (बिहार) द्वारा लोकसभा सचिवालय नई दिल्ली को भेजे गये पत्र में अंकित किया गया है कि 'भागलपुर सहित पूरे बिहार के सरकारी अस्पताल में मरिजों का सही से इलाज नहीं किया जाता है; अस्पताल के बाहर मेडिकल से दवा खरीदवाया जाता है इस लचर व्यवस्था को खत्म समाप्त करवाया जाए'। तदालोक में संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का D.O.NO 7(43)/2020-NHM-1 दिनांक 18.07.2022 द्वारा कृत कार्रवाई से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन संसदीय समिति को उपलब्ध कराने हेतु माँग की जा रही है।

2. आप अवगत है कि राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाये, चिकित्सकीय उपचार एवं अस्पताल में आने वाले मरीजो को निःशुल्क में औषधि उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में सर्वोपरि है। इसी क्रम में मिशन 60 के तहत सदर अस्पताल के स्वास्थ्य सेवाओं में गुणात्मक सुधार लाने के उद्येश्य से व्यापक कार्य किये गये है। विशेषज्ञ आधारित चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराने हेतु विशेषज्ञ चिकित्सको एवं पारा चिकित्सा कर्मियो की तैनाती की गई है। रेडियोलॉजी एवं पैथोलॉजीकल जाँच हेतु प्रयोगशाला प्रावैधिकी को पदस्थापित करते हुए जाँच हेतु विभिन्न प्रकार के उपकरणों का अधिष्ठापन सरकारी अस्पतालों में किया गया है, ताकि मरीजो को जाँच की सुविधा चिकित्सकों के परामर्शानुसार अस्पताल स्तर पर हीं मिल सके। इसी प्रकार अस्पताल में आने वाले मरीजो को निःशुल्क में औषधि उपलब्ध कराने हेतु सरकार के स्तर से संस्थानवार EDL अधिसूचित किया गया है। सभी जिलो के सरकारी स्वास्थ्य संस्थान हेतु जिलो के Indent के आधार पर औषधियो की केन्द्रीयकृत आपूर्ति BMSICL के स्तर से की जाती है। अस्पताल के मरीजो को औषधि उपलब्ध कराने हेतु Dedicated दवा वितरण केन्द्र स्थापित है, जहाँ से मरीज निःशुल्क में दवा प्राप्त करते है। स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या 120 (HS), दिनांक 15.05.2014 द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय असपताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में सिविल सर्जन, स्वास्थ्य प्रबंधक एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक के दायित्वों का निर्धारण किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से Free Drug Services मद में प्राप्त बजट का 20 प्रतिशत बजट सभी जिला स्वास्थ्य समितियों को जिला स्तर पर अपरिहार्य/आपातस्थिति में आवश्यकतानुसार EDL में निहित औषधियों के क्रय करने हेतु आवंटित है।

3. स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 1031(1), दिनांक 06.12.2022 के अनुसरण में सभी सदर अस्पताल में 5 दिनों की दवा वाह्य एवं अतं:वासी रोगियों को अस्पताल से छुट्टी के समय दिया जाना

सुनिश्चित किया जाए। इसी प्रकार मुधमेह, उच्च रक्तचाप एवं अन्य स्थायी बीमारियों (Chronic Disease) के लिए 30 दिनों की दवा मरीजों की दी जाए। गर्भवती महिलाओं को IFA एवं Calcium टेबलेट की पूरी खुराक (Full Dose) की दवा एकमुश्त दी जाए।

4. यह ध्यानगत रखा जाए कि सरकार की **'मुफ्त दवा वितरण नीति'** के अनुसरण में सरकारी अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीजों को EDL में निहित सभी प्रकार की आवश्यक औषधियाँ मुफ्त में मुहैया कराने हेतु सरकार कृत-संकल्पित है। अतएव, यह सुनिश्चित किया जाय कि सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीज को चिकित्सक द्वारा प्रेस्क्राईव औषधि का क्रय किसी भी परिस्थिति में नही करना पड़े। मरीज के दवा क्रय करने की सूचना किसी भी स्त्रोत से प्राप्त होने पर संबंधित पदाधिकारी/कर्मी पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। इस व्यवस्था को अत्यधिक प्रभावकारी बनाने हेतु जिलान्तर्गत सभी सरकारी अस्पताल के स्तर पर एक आंतरिक निगरानी समिति बनाकर प्रत्येक दिन इस व्यवस्था का गहन अनुश्रवण कराया जाए।

5. राज्य में औषधि/चिकित्सकीय सामग्रियों की आपूर्ति श्रृंखला को अत्यधिक सुदृढ़ करते हुये मरीजों को औषधि के वितरण की प्रक्रिया को सुगम एवं पारदर्शी बनाने हेतु DVDMS पोर्टल तथा संजीवनी पोर्टल के Integration का कार्य पूर्ण कर लेने की सूचना इस कार्यालय के पत्रांक SHSB/PM/523/2012/6151 दिनांक 19.01.2023 द्वारा सभी जिलों को दी गयी है। संजीवनी पोर्टल पर निबंधित मरीजों को औषधि वितरण केन्द्र से औषधि वितरित करने के उपरान्त DVDMS पोर्टल पर स्वतः स्टॉक अद्यतन हो जायेगा। इस व्यवस्था से मरीजों को औषधि वितरित करने से औषधि वितरण केन्द्रो पर औषधियों के वितरण के साथ ही भंडारण के आकड़े Real Time Basis पर Update होगें तथा End to End Supply Chain में आकड़ो की स्पष्टता बनी रहेगी।

6. अतः भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न लोकसभा सचिवालय के Office Memorandum के आलोक में पुनःस्मारित किया जाता है कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजो का समुचित उपचार सुनिश्चित करते हुए उपर्युक्त कंडिकाओं में निर्धारित व्यवस्थाओं के अनुसरण में मरीजो को सभी प्रकार की आवश्यक दवाये निःशुल्क में अस्पताल प्रबंधन द्वारा मुहैया करायी जाए और उसकी प्रविष्टि संजीवनी पोर्टल पर करते हुये DVDMS पोर्टल पर स्टॉक का मिलान प्रत्येक दिवस में किया जाय।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(संजय कुमार सिंह)

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

संजय कुमार सिंह, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

पत्रांक: SHSB/PM/161/2007/...............

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार
सभी सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति।

पटना, दिनांक...................

विषयः राज्य के सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजो को सभी प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाये/स्वास्थ्य सेवाये उपलब्ध कराते हुए उनका बेहतर उपचार करने एवं आवश्यक औषधियाँ निःशुल्क उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का D.O.NO 7(43)/2020-NHM-1 दिनांक 18.07.2022

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि मामून रशीद, सामाजिक कार्यकर्ता भागलपुर (बिहार) द्वारा लोकसभा सचिवालय नई दिल्ली को भेजे गये पत्र में अंकित किया गया है कि 'भागलपुर सहित पूरे बिहार के सरकारी अस्पताल में मरिजों का सही से इलाज नहीं किया जाता है; अस्पताल के बाहर मेडिकल से दवा खरीदवाया जाता है इस लचर व्यवस्था को खत्म समाप्त करवाया जाए'। तदालोक में संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का D.O.NO 7(43)/2020-NHM-1 दिनांक 18.07.2022 द्वारा कृत कार्रवाई से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन संसदीय समिति को उपलब्ध कराने हेतु माँग की जा रही है।

2. आप अवगत है कि राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाये, चिकित्सकीय उपचार एवं अस्पताल में आने वाले मरीजो को निःशुल्क में औषधि उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में सर्वोपरि है। इसी क्रम में मिशन 60 के तहत सदर अस्पताल के स्वास्थ्य सेवाओं में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से व्यापक कार्य किये गये है। विशेषज्ञ आधारित चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराने हेतु विशेषज्ञ चिकित्सको एवं पारा चिकित्सा कर्मियो की तैनाती की गई है। रेडियोलॉजी एवं पैथोलॉजीकल जाँच हेतु प्रयोगशाला प्रावैधिकी को पदस्थापित करते हुए जाँच हेतु विभिन्न प्रकार के उपकरणों का अधिष्ठापन सरकारी अस्पतालों में किया गया है, ताकि मरीजो को जाँच की सुविधा चिकित्सकों के परामर्शानुसार अस्पताल स्तर पर हीं मिल सके। इसी प्रकार अस्पताल में आने वाले मरीजो को निःशुल्क में औषधि उपलब्ध कराने हेतु सरकार के स्तर से संस्थानवार EDL अधिसूचित किया गया है। सभी जिलो के सरकारी स्वास्थ्य संस्थान हेतु जिलो के Indent के आधार पर औषधियो की केन्द्रीयकृत आपूर्ति BMSICL के स्तर से की जाती है। अस्पताल के मरीजो को औषधि उपलब्ध कराने हेतु Dedicated दवा वितरण केन्द्र स्थापित है, जहाँ से मरीज निःशुल्क में दवा प्राप्त करते है। स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या 120 (HS), दिनांक 15.05.2014 द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय असपताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में सिविल सर्जन, स्वास्थ्य प्रबंधक एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक के दायित्वों का निर्धारण किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से Free Drug Services मद में प्राप्त बजट का 20 प्रतिशत बजट सभी जिला स्वास्थ्य समितियों को जिला स्तर पर अपरिहार्य/आपातस्थिति में आवश्यकतानुसार EDL में निहित औषधियों के क्रय करने हेतु आवंटित है।

3. स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 1031(1), दिनांक 06.12.2022 के अनुसरण में सभी सदर अस्पताल में 5 दिनों की दवा वाह्य एवं अतं:वासी रोगियों को अस्पताल से छुट्टी के समय दिया जाना

सुनिश्चित किया जाए। इसी प्रकार मुधमेह, उच्च रक्तचाप एवं अन्य स्थायी बीमारियों (Chronic Disease) के लिए 30 दिनों की दवा मरीजों की दी जाए। गर्भवती महिलाओं को IFA एवं Calcium टेबलेट की पूरी खुराक (Full Dose) की दवा एकमुश्त दी जाए।

4. यह ध्यानगत रखा जाए कि सरकार की **'मुफ्त दवा वितरण नीति'** के अनुसरण में सरकारी अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीजों को EDL में निहित सभी प्रकार की आवश्यक औषधियाँ मुफ्त में मुहैया कराने हेतु सरकार कृत-संकल्पित है। अतएव, यह सुनिश्चित किया जाय कि सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीज को चिकित्सक द्वारा प्रेस्क्राईव औषधि का क्रय किसी भी परिस्थिति में नही करना पड़े। मरीज के दवा क्रय करने की सूचना किसी भी स्त्रोत से प्राप्त होने पर संबंधित पदाधिकारी/कर्मी पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। इस व्यवस्था को अत्यधिक प्रभावकारी बनाने हेतु जिलान्तर्गत सभी सरकारी अस्पताल के स्तर पर एक आंतरिक निगरानी समिति बनाकर प्रत्येक दिन इस व्यवस्था का गहन अनुश्रवण कराया जाए।

5. राज्य में औषधि/चिकित्सकीय सामग्रियों की आपूर्ति श्रृंखला को अत्यधिक सुदृढ़ करते हुये मरीजों को औषधि के वितरण की प्रक्रिया को सुगम एवं पारदर्शी बनाने हेतु DVDMS पोर्टल तथा संजीवनी पोर्टल के Integration का कार्य पूर्ण कर लेने की सूचना इस कार्यालय के पत्रांक SHSB/PM/523/2012/6151 दिनांक 19.01.2023 द्वारा सभी जिलों को दी गयी है। संजीवनी पोर्टल पर निबंधित मरीजों को औषधि वितरण केन्द्र से औषधि वितरित करने के उपरान्त DVDMS पोर्टल पर स्वतः स्टॉक अद्यतन हो जायेगा। इस व्यवस्था से मरीजों को औषधि वितरित करने से औषधि वितरण केन्द्रो पर औषधियों के वितरण के साथ ही भंडारण के आकड़े Real Time Basis पर Update होगें तथा End to End Supply Chain में आकड़ो की स्पष्टता बनी रहेगी।

6. अतः भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न लोकसभा सचिवालय के Office Memorandum के आलोक में पुनःस्मारित किया जाता है कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजो का समुचित उपचार सुनिश्चित करते हुए उपर्युक्त कंडिकाओं में निर्धारित व्यवस्थाओं के अनुसरण में मरीजो को सभी प्रकार की आवश्यक दवाये निःशुल्क में अस्पताल प्रबंधन द्वारा मुहैया करायी जाए और उसकी प्रविष्टि संजीवनी पोर्टल पर करते हुये DVDMS पोर्टल पर स्टॉक का मिलान प्रत्येक दिवस में किया जाय।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(संजय कुमार सिंह)

ज्ञापांक 6502 पटना, दिनांक 02/02/23

प्रतिलिपि :

- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को कृपया सूचनार्थ।
- संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को उनके D.O.NO 7(43) /2020-NHM-1 दिनांक 18.07.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- श्री राजपाल भाटिया, अवर सचिव (NHM-1) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को उनके पत्रांक 7(43)/2020-NHM-1 दिनांक 28.11.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक निदेशक-सह-
सचिव, स्वास्थ्य विभाग

राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार
वितरण शाखा
पंजी प्रविष्ट सं०- 9063
दिनांक- 02/12/22
कम्प्यूटर सं०-

अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य कोषांग
ED, SHS
28 NOV 2022
बिहार, पटना

No. 7(43)/2020-NHM-I
Government of India
Ministry of Health and Family Welfare
(NHM-I Section)

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated the 28th November, 2022

Meeting Notice

Subject:- Meeting under the Chairpersonship of AS&MD (H&FW) to review the ATR on various petitions/representations to Committee on Petitions Lok Sabha-reg.

7276 (HS)
29/11/2022

The undersigned is directed to say that a virtual meeting is scheduled to be held under the Chairpersonship of Ms. Roli Singh, Additional Secretary & Mission Director (NHM) to review the action taken note on petitions/representations from Ms. Dipika & Others, Shri Mamoon Rashid and Shri Arjun Kumar Nagar on **1st December, 2022 at 03:00 PM in her chamber.** It may be noted that despite various reminders from this office, response from state is awaited and hence reply to Committee on Petitions, Lok Sabha is over delayed. The detail is attached as per annexure.

2. It is requested to kindly make it convenient to attend the virtual meeting with status note for discussion in the said meeting.

3. Link for the meeting will be shared shortly.

(Rajpal Bhatia)
Under Secretary (NHM-I)
Tel. 011-23062108

To,

I. The Principal Secretary Health, Bihar.
II. The Principal Secretary Health Rajasthan.

1/c विधायी कार्य

Copy to,

- Sr. PPS to AS & MD (NHM)
- Sr. PPS to JS (Policy)
- Director NHM II to coordinate the meeting.

URGENT
Procurement

कार्यपालक निदेशक

Annexure

प्रोक्योरमेंट कोषांग
डायरी संख्या 2039
दिनांक 08/12/22
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

P.T.O

Annexure

S.No.	Name of the Committee/Ministry	Subject/Purpose	Remarks
1.	Committee on Petitions, Lok Sabha	Representation of Ms. Deepika and others from Rajasthan requesting for absorption/ regularization under National Health Mission/National Ayush Mission.	This Ministry had sent letter dated 07.08.2020 and subsequent reminder dated 18.08.2020, 07.11.2020, 15.09.2021, 18.07.2022 and recent communication dated 16.09.2022 from AS & MD was sent to the States to furnished a reply further to the Committee of the Petition Branch, Lok Sabha Secretariate. But no reply has been received from the State so far.
2.	Committee on Petitions, Lok Sabha	Representation dated 02.03.2020 from Sh. Mamoon Rashid from Bihar raising various issues related to inadequate medical and educational facilities in Govt. Hospitals and schools in the state of Bihar. Also raised issues related to Railway connectivity, repairing of NH-80 and construction of Airport in Bhagalpur (Bihar).	This Ministry had sent letter dated 07.08.2020 and subsequent reminder dated 18.08.2020, 07.11.2020, 15.09.2021, 18.07.2022 and recent communication dated 16.09.2022 from AS & MD was sent to the States to furnished a reply further to the Committee of the Petition Branch, Lok Sabha Secretariate. But no reply has been received from the State so far.
3.	Committee on Petitions, Lok Sabha	Representation dated 21.02.2020 received from Sh. Arjun Kumar Nagar from Rajasthan requesting for recruitment of GNM and ANM selected under PH quota in 2018 in the State of Rajasthan.	This Ministry had sent letter dated 07.08.2020 and subsequent reminder dated 18.08.2020, 07.11.2020, 15.09.2021, 18.07.2022 and recent communication dated 16.09.2022 from AS & MD was sent to the States to furnished a reply further to the Committee of the Petition Branch, Lok Sabha Secretariate. But no reply has been received from the State so far.

34476/2021/NHM-I

LOK SABHA SECRETARIAT
(Committee on Petitions Branch)

377

Room No. 15, PHA (Extn.)
New Delhi - 110 001
Dated: 3 July, 2020

No. 13/CPB/2020/2234
(LAFEAS-CPO23/15/2020-COP/E-89774)

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Representation dated 2.3.2020 received from Shri Mamoon Rashid rasing various issues related to Railway connectivity, repairing of NH-80 and construction of Airport in Bhagalpur (Bihar) and also related to inadequate medical and educational facilities in Govt. Hospitals and Schools in the State of Bihar.

The undersigned is directed to forward herewith a Representation dated 2.3.2020 as received from Shri Mamoon Rashid on the above subject for taking such necessary action as the Ministry may deem fit in the matter. It is requested that the Representationist may be informed of the action taken in the matter under intimation to the Committee on Petitions, Lok Sabha.

Encl: As above.

(G.C. DOBHAL)
ADDITIONAL DIRECTOR
Tel: 23035728

Ministry of Railways,
(Railway Board)
(Shri Vinod Kumar Yadav – Chairman)
Rail Bhawan, Rafi Marg,
New Delhi - 110 001

Ministry of Road Transport & Highways
(Shri Armane Giridhar – Secretary)
Transport Bhawan,
New Delhi - 110 001

Ministry of Civil Aviation,
(Shri Pradeep Singh Kharola – Secretary)
Rajiv Gandhi Bhawan, Block-B,
Safdurjung Airport, New Delhi.

Ministry of Health & Family Welfare
(Department of Health & Family Welfare)
(Smt. Preeti Sudan – Secretary)
'C' Wing, Nirman Bhawan, New Delhi

Ministry of Human Resource Development,
(Department of School Education & Literacy)
(Smt. Anita Karwal – Secretary)
124-C, Shastri Bhawan, New Delhi

मांग पत्र

दिनांक : 02|03|2020

प्रेषक:-
मामुन रशीद
वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता
(बिहार, भागलपुर)

मोबाईल : [illegible]

सेवा में,
माननीय लोकसभा स्पीकर महोदय जी,
भारत सरकार

विषय : निम्नलिखित मांगो के संबंध में ।

महाशय
निवेदन पूर्वक कहना है की निचे निम्नलिखित मांगो की ओर ध्यान दें उसे पूरा कर दें। हमारे ये मांग-पत्र अलग-अलग विभाग से जुड़ा हुआ है।

1. सबौर रेलवे स्टेशन को टर्मिनल बनवा दिया जाए।
2. सबौर रेलवे स्टेशन पर गया-हावड़ा एक्सप्रेस अप-डाउन दोनों भागलपुर हावड़ा एक्सप्रेस अप-डाउन दोनों का ठहराव करवाया जाए ।
3. रेल संख्या 13401-13402 को सबौर से दानापुर और दानापुर से सबौर तक चलवाया जाए।
4. भागलपुर सहित पूरे बिहार के सरकारी अस्पताल में मरिजों का सही से इलाज नहीं किया जाता है अस्पताल के बाहर मेडिकल से दवा खरीदवाया जाता है इस लचर व्यवस्था को खत्म समाप्त करवाया जाए।
5. भागलपुर एनएच 80 हर साल बनता है हर साल टूट जाता है मजबूत रोड सड़क बनवाया जाए जांच करवाकर दोषियों पर कारवाई की जाए ।
6. बिहार के किसी भी सरकारी स्कूल में पढाई नहीं होती है शिक्षक केवल समय काटता है बदहाल शिक्षा व्यवस्था को समाप्त/खत्म करवाया जाए।
7. सभी प्रकार के गैर सरकारी स्कूल की मनमानी पर रोक लगवाया जाए।
8. भागलपुर में किसी नए जगह पर हवाई अड्डा का निर्माण करवाकर हवाई सेवा शुरू करवाया जाए।

अतः श्रीमान से सादर अनुराध है की हमारी सभी मांगे पूरी करने की कृपा की जाए ।

समस्त शुभकामनाओं सहित ।

भवदीय
Mamun Rashid
(मामुन रशीद)

THE HON'BLE SPEAKER, LOK SABHA, NEW DELHI
Received on
13/03/2020

SG 13/3/2020